



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052023-245878
CG-DL-E-15052023-245878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]
No. 293]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2023/वैशाख 25, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2023/VAISAKHA 25, 1945

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2023

सा.का.नि. 365(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन, अन्वेषक (अर्थशास्त्र अन्वेषक), समूह, 'ग' पद भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अन्वेषक (अर्थशास्त्र अन्वेषण) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, अन्वेषक (अर्थशास्त्र अन्वेषण), (श्रेणी 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- इस संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य नियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक में वेतन-लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अन्वेषक (अर्थशास्त्र अन्वेषण)	8* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (रुपए 35400-112400)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले एवं चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री। टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उप कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>	नहीं	दो वर्ष टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा।	सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है: (क) (1) जो नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रू. 29200-92300/-) में नियमित आधार पर छः वर्ष नियमित सेवा प्रदान की हो, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यता हो।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) या संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) -अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) - सदस्य; तथा 3. उप निदेशक (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) -सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	

[फा. सं. ए-12035/03/2022 ए-(पीएंडटी)]

पंकज कुमार झा, उप निदेशक (शासनप्र)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**(Office of the Development Commissioner)****(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2023

G.S.R. 365(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Small Scale Industries, Small Industries Development Organisation, Investigator (Economic Investigation), Group 'C' post, Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Investigator (Economic Investigation) in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Investigator (Economic Investigation) (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.- The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Investigator (Economic Investigation).	8*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6, (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

				Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands for Lakshadweep).
Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
(7)	(8)	(9)	(10)	
Essential: Bachelor Degree with Economics from a recognised University or institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two Years. Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	100 percent by Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in level-5 (Rs. 29200-92300) of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.		
(11)	(12)	(13)		
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Administration) of Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.		

	2. Joint Director of Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) -Member; and 3. Deputy Director (Administration) of Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) -Member.	
--	--	--

[F. No. A-12035/03/2022-A(P&T)]

PANKAJ KUMAR JHA, Dy. Director (Administration)